

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-29.6.2019

संख्या-1/श्रम वि०स्था०(1) 10-13/19 श्रम 57/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार श्रम सेवा (सामान्य) में श्रम अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पदों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के श्रम अधीक्षक के वेतनमान वेतन स्तर 9 (₹ 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक / अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुजीत कुमार	244/207270	अनारक्षित	नालंदा	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा
2	श्री शशि शेखर	249/198341	अनारक्षित	पटना	प्रधान सचिव के सचिव
3	श्रीमती प्रियंका	297/134908	अनारक्षित	गया	श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा
4	श्री अजय कुमार	753/239553	अनु०जाति	कैमूर	श्रम अधीक्षक, सीवान
5	श्री घनश्याम रविदास	767/105111	अनु०जाति	पटना	श्रम अधीक्षक, लखीसराय
6	श्री जगन्नाथ पासवान	813/138418	अनु०जाति	अररिया	श्रम अधीक्षक, दरभंगा
7	सुश्री स्नेहा सृजन	968/123565	अनु०जाति	पटना	अतिरिक्त प्रभार- श्रम अधीक्षक, मधुबनी श्रम अधीक्षक, (बाल श्रम) बाल श्रमिक आयोग, पटना

- उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।
- सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये बिहार श्रम सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्तों) संशोधन नियमावली, 2014 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।
- अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें, भविष्य में गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सरकार को रहेगा।
- सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक-01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।
- सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से इक्कीस दिन के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित स्थान पर प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ श्रमायुक्त बिहार, पटना को देंगे। प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
- इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

संख्या-1/श्रम वि०स्था०(1) 10-13/19 श्रम 57/

पटना-15, दिनांक-29.6.2019

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

संख्या-1/श्रम वि०स्था०(1) 10-13/19 श्रम 57/

पटना-15, दिनांक-29.6.2019

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

संख्या-1/श्रम वि०स्था०(1) 10-13/19 श्रम 57/

पटना-15, दिनांक-29.6.2019

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 13, दिनांक 26.4.19 के आलोक में/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के सभी पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा द्वारा योग्य पाये गये हैं।
3. श्रमायुक्त बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में उपरोक्त शर्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे। साथ ही जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत है, उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर ही प्रभार ग्रहण करने की अनुमति देंगे।

सरकार के उप सचिव।

स्पीड पोस्ट

संख्या-1/श्रम वि०स्था०(1) 10-13/19 श्रम 57/

पटना-15, दिनांक-29.6.2019

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सत्यापित  
फोटोग्राफ

सरकार के उप सचिव।